



RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ८]

गुरुवार, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

[पृष्ठे ८८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६ (१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. XVI OF 2023.

A BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2024.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १६ सन् २०२३।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२४ के इक्तीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२४ के इक्तीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किया जाए ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :-

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग अधिनियम, २०२३ कहलाए।

संक्षिप्त नाम।

(१)

राज्य की
समेकित निधि में
से वित्तीय वर्ष
२०२३-२०२४ के
लिये,
६२ खरब,
०८ अरब,
४७ करोड़,
०९ लाख,
९९ हजार
रुपये निकालना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर बासठ खरब, आठ अरब, सैंतालिस करोड़, नौ लाख, नित्यानबे हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में सन् २०२४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की जायेगी तथा लगाई जाएगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिए प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२४ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी			
			विनियोजन			
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल	
			रुपये	रुपये	रुपये	
क—राजस्व लेखे पर व्यय						
सामान्य प्रशासन विभाग						
ए-१	राज्यपाल और मंत्रि परिषद	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक। २०१३, मंत्रि परिषद	. .	३७,४७,१३,०००	३६,६८,५०,०००	७४,१५,६३,०००
ए-२	निर्वाचन।	२०१५, निर्वाचन।	. .	३,४५,६९,११,०००		३,४५,६९,११,०००
ए-३	लोक सेवा आयोग।	२०५१, लोक सेवा आयोग।	. .	२,०००	१,०६,४१,३०,०००	१,०६,४१,३२,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	१५,३८,२५,८१,०००	१,०५,०००	१५,३८,२६,८६,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	. .	४,६५,९५,०४,०००		४,६५,९५,०४,०००

अनुसूची—जारी

४

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		राजस्व तथा सामान्य प्रशासन विभाग—जारी			
ए-६	सूचना तथा प्रसार ।	२२२०, सूचना तथा प्रसार ।	५,९९,२५,३९,०००	१,५०,०००	५,९९,२६,८९,०००
ए-७	सिविल विमानन ।	३०५३, सिविल विमानन ।	५,७५,८८,२४,०००		५,७५,८८,२४,०००
ए-८	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी ।	३४५४ जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी ।	५,०००	..	५,०००
		कुल—सामान प्रशासन विभाग	३५,६२,५०,७९,०००	१,४३,१२,३५,०००	३७,०५,६३,१४,०००
		गृह विभाग			
बी-१	पुलिस प्रशासन ।	२०१४, न्याय प्रशासन ।	२,६५,१३,५८,५६,०००	५,००,५०,०००	२,६५,१८,५९,०६,०००
		२०५५, पुलिस ।			
		२०७०, अन्य प्रशासकिय सेवा ।			
बी-२	राज्य उत्पाद शुल्क ।	२०३९, राज्य उत्पाद शुल्क ।	२,४९,२१,९८,०००	१,५१,०००	२,४९,२३,४९,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन ।	२०४१, वाहनों पर कर ।	४०,३३,८४,७२,०००	५०,००,००,०००	४०,८३,८४,७२,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर	७६,४८,७८,०००	..	७६,४८,७८,०००
		अन्य कर तथा शुल्क ।			
		२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ ।	..		
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।			
बी-५	जेल	२०५६, जेल	५,७१,२६,८०,०००		५,७१,२६,८०,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

बी-६	सामान्य सेवाएँ ।	२२१७, नगर विकास ।	..	४,६४,६१,०००	..	४,६४,६१,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..			
		२२५०, अन्य सामान्य सेवाएँ ।	..			
बी-७	आर्थिक सेवाएँ ।	३००१, भारतीय रेल-नीती-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन ।	..	१३,४५,००,००,०००	..	१३,४५,००,००,०००
		३०५१, पतन तथा दीप गृह ।				
बी-८	वाढ़ नियंत्रण और जल निकास ।	२७११, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास ।	..	१२,००,००,०००	..	१२,००,००,०००
बी-९	स्थानीय विकासों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन ।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकार तथा समनुदेशन ।	..	७,०००	..	७,०००
कुल—गृह विभाग ।			..	३,२८,०६,०५,५२,०००	५५,०१,०१,०००	३,२८,६१,०७,५३
राजस्व तथा वन विभाग						
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व ।	..	३४,४०,५१,१६,०००	३८,०००	३४,४०,५१,५४,०००
		२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क ।				
		२०५३, जिला प्रशासन ।				
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।				
सी-२	स्टाम्प और पंजीकरण ।	२०३०, स्टाम्प और पंजीकरण ।	..	३,२४,३९,३७,०००	३,०००	३,२४,३९,४०,०००
सी-३	ब्याज अदायगियों ।	२०४९, ब्याज अदायगियों ।	..	१,०००	२,०००	३,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ ।	..	७८,९३,१८,०००	१०,०४,०००	७९,०३,२२,०००
		२०५९, लोक निर्माण कार्य ।				
		२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	..			
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२१७, नगरविकास ।	..	५६,४६,२०,०००	११,०००	५६,४६,३१,०००
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आल्प संख्याकों का कल्याण ।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
		२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।				

अनुसूची—जारी

६

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	१,२२,७३,७८,५८,०००	४,०००	१,२२,७३,७८,८२,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	४०,०३,००,४७,०००	१,०००	४०,०३,००,४८,०००
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।			
		२२५१, पहाड़ी क्षेत्र।			
सी-८	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	१०,००,००,०००		१०,००,००,०००
कुल—राजस्व तथा वन विभाग।			२,०१,७७,०८,९७,०००	१०,१०,६३,०००	२,०१,८७,१९,६०,०००
कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग					
डी-१	ब्याज अदायगियों।	२०४९, ब्याज अदायगियों।	१,०००	२०,४७,४८,०००	२०,४७,४९,०००
डी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	९७,४०,०००		९७,४५,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्ज।	१,०७,७२,०८,०३,०००	८,००,०००	१,०७,७२,१६,०३,०००
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।			
		२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।			
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	१६,९८,०२,३४,०००	३,५०,०००	१६,९८,०५,८४,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास	२४०५, मत्स्य उद्योग।	३,८०,६८,४४,०००	५०,०००	३,८१,१८,४४,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग।	२४०५, मत्स्य उद्योग।	४,५६,५३,८२,०००	१,५०,०००	४,५६,५५,३२,०००
डी-७	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचन।	५८,४३,२२,०००		५८,४३,२२,०००
		३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।			
कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।			१,३३,६६,७३,२६,०००	२१,१०,४८,०००	१,३३,८७,८३,७४,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग

इ-१	ब्याज अदायगियों ।	२०४९, ब्याज अदायगियों ।	..		२३,३१,७६,९१,०००	२३,३१,७६,९१,०००
इ-२	सामान्य शिक्षा ।	२२०२, सामान्य शिक्षा ।	..	७,०३,०२,९८,७१,०००	१,९०,१५,०००	७,०३,०४,८८,८६,०००
इ-३	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।	..	६,६८,१०,७३,०००	२,०००	६,६८,१०,७५,०००
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।	..			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्याओं का कल्याण ।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
		२२५१, सचिवालय- सामाजिक सेवाएँ ।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग ।	..	७,०९,७१,०९,४४,०००	२१,३३,६७,०८,०००	७,३३,०४,७६,५२,०००

नगरविकास विभाग

एफ-१	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	..		१,०००	१,०००
		२०५३, जिला प्रशासन ।				
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।	..	१,६८,१७,६०,७७,०००	२,५०,०००	१,६८,१७,६३,२७,०००
		२२१७, नगरविकास ।				
		३०५४, सड़क तथा पुल ।				
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल्य विकास ।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	२,६१,२४,२९,०००		२,६१,२४,२९,०००
		२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ ।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ ।				
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		२,७६,४७,२४,४३,०००	..	२,७६,४७,२४,४३,०००
		कुल—नगरविकास विभाग ।	..	४,४७,२६,४९,४९,०००	२,५१,०००	४,४७,२६,५२,००,०००

अनुसूची—जारी

८

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये	रुपये
		वित्त विभाग			
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर संग्रहण। २०४०, विक्रय कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	११,०६,५०,५०,०००	१,००,०००
जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	२८,३३,७४,७१,०००	
जी-३	प्रमाज अदायगियाँ तथा ऋण सेवा।	२०४८, ऋणों में कमी करने या परिहार के लिए विनियोग २०४९, ब्याज अदायगियाँ।		४,७५,५०,७८,३६,०००	४,७५,५०,७८,३६,०००
जी-४	सचिवालय — सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	..	५८,५०,८४,०००	
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	..	५,०७,२२,४६,०००	२,००,०००
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	..	५,४५,५५,९९,६९,०००	१,८४,७६,१४,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,१३,०६,४१,०००	
		कुल—वित्त विभाग।	..	५,९१,७५,०४,६१,०००	४,७७,३५,५९,५०,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग			
एच-२	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,१७,५०,०००	
एच-३	आवास।	२२१६, आवास।	..	४,३६,२१,८०,०००	
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५३, सिविल विमानन। ३४५१, सचिवालय--आर्थिक सेवाएँ।	..	८३,९२,०६,०००	

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

भाग सात—१४-२	एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	..	८०,९०,४०,५९,०००	१५,००,०००	८०,९०,५५,५९,०००
	एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य।	..	३५,०२,९९,०१,०००	५,७९,०६,०००	३५,०८,७८,०७,०००
			२२०२, सामान्य शिक्षा।				
			२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
			२२०५, कला तथा संस्कृति।				
			२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
			२२१७, नगरविकास।				
			२२३०, श्रम तथा नियोजन।				
			२४०३, पशुपालन।				
			२४०५, मत्स्योद्योग।				
कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।				..	१,२१,१४,७०,९६,०००	५,९४,०६,०००	१,२१,२०,६५,०२,०००
जलस्रोत विभाग							
आय-१	प्रमाज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..		१२,१४,२६,५७,०००	१२,१४,२६,५७,०००
आय-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२,००,००,०००		२,००,००,०००
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	..	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।	..	२४,२६,८७,३९,०००	..	२४,२६,८७,३९,०००
			२७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई।				
			२७०२, लघु सिंचाई।				
			२७०५, कमान क्षेत्र विकास।				
			२७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास।				
			२८०१, विद्युत।				
			३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान				
आय-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	७८,७५,३४,०००		७८,७५,३४,०००
कुल—जलस्रोत विभाग।				..	२५,०७,६२,७३,०००	१२,१४,२६,५७,०००	३७,२१,८९,३०,०००

अनुसूची—जारी

१०

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			रुपये	रुपये	रुपये
विधि तथा न्याय विभाग					
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	३२,७८,४१,७९,०००	५,३८,८०,७०,०००	३८,१७,२२,४९,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	२,९१,६५,३०,०००	१०,००,०००	२,९१,७५,३०,०००
जे-३	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	७,३२,६०,०००		७,३२,६०,०००
कुल—विधि तथा न्याय विभाग।			३५,७७,३९,६९,०००	५,३८,९०,७०,०००	४१,१६,३०,३९,०००
उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग					
के-१	पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५७, पूर्ति और निपटान।	७३,३०,०९,०००		७३,३०,०९,०००
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२,२४,७८,३७,०००	१,०००	२,२४,७८,३७,०००
के-४	श्रम, नियोजन कौशल तथा विकास।	२२३०, श्रम, नियोजन तथा कौशल विकास	३,८७,०२,९७,०००		३,८७,०२,९७,०००
के-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	२४,००,०००		२४,००,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।	९२,८२,७३,९८,०००		९२,८२,७३,९८,०००
के-७	उद्योग।	२८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	४२,३६,२५,०५,०००	१,०००	४२,३६,२५,०५,०००
के-८	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३२,६८,६३,०००		३२,६८,६३,०००
कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।			१,४२,३७,०३,०९,०००	१,०१,०००	१,४२,३७,०४,१०,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

ग्रामविकास विभाग

एल-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	१८,०३,८८,८८,०००	१८,०३,८८,८८,०००
एल-२	जिला प्रशासन।	..	२०५३, जिला प्रशासन।	..	८३,७२,६६,१२,०००	१,०००
			२०५९, लोकनिर्माण कार्य।			८३,७२,६७,१२,०००
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,१६,८२,५०,९०,०००	..
			२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।			१,१६,८२,५०,९०,०००
			२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
			२५०५, ग्राम नियोजन।			
			२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
			२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।			
			३०५४, सड़क तथा पुल।			
एल-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	८२,२०,१९,०००	..
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		..	६,१३,३५,२१,०००	७,६०,०५,४४,०००
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				१३,७३,४०,६५,०००
कुल—ग्रामविकास विभाग				..	२,०७,५०,७२,४२,०००	२५,६३,९५,३२,०००
						२,३३,१४,६७,७४,०००

खाद्य सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-१	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१०,००,०००	..
एम-२	खाद्य भंडारकरण और गोदाम।	..	२४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम।	..	३१,५२,०८,३०,०००	२५,५२,५०,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।		..	१,१९,३२,३०,०००	..
		३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।				१,१९,३२,३०,०००
कुल—खाद्य सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।				..	३२,७५,५०,६०,०००	२५,५२,५०,०००
						३२,९७,०३,१०,०००

[illegible]

		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५०५, ग्राम नियोजन।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।			
		२८५२, उद्योग।			
एन-६	जिला योजना	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण।	..	२८,२२,९७,२५,०००	२८,२२,९७,२५,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	..	१,९९,४७,१८,१५,०००	५,०२,०००
					१,९९,४७,२३,१७,०००
योजना विभाग					
ओ-१	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	..	५,००,००,००,०००	५,००,००,००,०००
ओ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण।	..	३,००,०३,६०,०००	३,००,०३,६०,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	..	..
ओ-३	ग्राम नियोजन।	२५०५, ग्राम नियोजन।	..	४१,४२,०३,०३,०००	८०,००,००,०००
ओ-४	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	..	१,००,१२,०३,०००	१,००,१२,०३,०००
ओ-६	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	३४२५, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	..	१,५०,००,००,०००	१,५०,००,००,०००
ओ-७	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	२,२१,१३,५३,०००	५,३९,४३,०००
ओ-८	पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।	..	३२,०९,३६,०००	३२,०९,३६,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रातिकर तथा समनुदेशन।	..	१६,१३,५८,३७,०००	१,०००
					१६,१३,५८,३८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-१४	जिला योजना - मुंबई शहर।	२०५३, जिला प्रशासन।	२,५२,७९,२५,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।	
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।	
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	
		२२१६, आवास।	
		२२१७, नगरविकास।	
		२२२०, सूचना तथा प्रसार।	
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति	
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों	
		तथा का कल्याण।	
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।	
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
		२२३६, पोषण।	
		२४०५ मत्स्य उद्योग।	
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।	
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	
		३४५२, पर्यटन।	

ओ-१६	जिला योजना-मुंबई उपनगर।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	७,८५,८५,२१,०००		७,८५,८५,२१,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।				
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
		२२०५, कला तथा संस्कृति।				
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
		२२१६, आवास।				
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति				
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण।				
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।				
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२३६, पोषण।				
		२४०५, मत्स्य उद्योग।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		२८०१, विद्युत।				
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
		३४५२, पर्यटन।				

(१)	(२)	(३)	(४)	
ओ-१८	जिला योजना - ठाणे।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	रुपये ५,४७,६७,४०,०००	रुपये ५,४७,६७,४०,०००

भाग सात-१४-३	ओ-२०	जिला योजना - रायगड।	२०५३, जिला प्रशासन।	..	२,५३,५३,५८,०००		२,५३,५३,५८,०००
			२२०२, सामान्य शिक्षा।				
			२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
			२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
			२२०५, कला तथा संस्कृति।				
			२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
			२२११, परिवार कल्याण।				
			२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
			२२१७, नगर विकास।				
			२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
			२२३०, श्रम तथा नियोजन।				
			२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
			२२३६, पोषण।				
			२४०३, पशुपालन।				
			२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।				
			२४०५, मत्स्य उद्योग।				
			२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
			२४२५, सहकारिता।				
			२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
			२७०२, लघु सिंचाई।				
			२८०१, विद्युत।				
			२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
			२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
			३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।				
			३०५४, सड़क तथा पुल।				
			३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।				
			३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
			३४५२, पर्यटन।				
			३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज				
			संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

१८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-२२	जिला योजना - रत्नागिरी।	२०५३, जिला प्रशासन।	२,३२,०४,००,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।	
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	
		२२१७, नगर विकास।	
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।	
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति	
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकोंका कल्याण।	
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।	
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
		२२३६, पोषण।	
		२४०३, पशुपालन।	
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।	
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	
		२७०२, लघु सिंचाई।	
		२८०१, विद्युत।	
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।	
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।	
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।	
		३०५४, सड़क तथा पुल।	
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।	
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	
		३४५२, पर्यटन।	
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुद्देशन।	
			रुपये
			२,३२,०४,००,०००

२०५३, जिला प्रशासन।
 २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२३०, श्रम तथा नियोजन।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०१, कृषि कर्म।
 २४०२, मृद तथा जल संरक्षण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
 ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।
 ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

१,३८,२८,७३,०००

१,३८,२८,७३,०००

अनुसूची—जारी

२०

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-२६	जिला योजना - पुणे।	२०५९, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सरक तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	७,९३,५८,२५,०००
			रुपये
			रुपये
			७,९३,५८,२५,०००

ओ-२८	जिला योजना - सतारा।	२०५३, जिला प्रशासन।	३,४९,९५,३४,०००	३,४९,९५,३४,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण।		
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३०५४, सरक तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

अनुसूची—जारी

२२

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये
ओ-३०	जिला योजना-सांगली।	२०५९, जिला प्रशासन।	२,८८,६८,९५,०००	२,८८,६८,९५,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२२३६, पोषण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
		२५०५, ग्राम नियोजन।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-३२	जिला योजना - सोलापुर।	२०५३, जिला प्रशासन।	४,१३,०७,१०,०००	४,१३,०७,१०,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
		२२१७, नगर विकास।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
		२४०३, पशुपालन।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
		२४२५, सहकारिता।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
		२७०२, लघु सिंचाई।		
		२८०१, विद्युत।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।		
		३०५४, सड़क तथा पुल।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
		३४५२, पर्यटन।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
ओ-३४	जिला योजना-कोल्हापुर।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	रुपये ३,३६,६८,३४,०००	रुपये ३,३६,६८,३४,०००

ओ-३६ जिला योजना -नासिक।

२०५३, जिला प्रशासन।

..

..

४,७३,४४,००,०००

...

४,७३,४४,००,०००

२२०२, सामान्य शिक्षा।

२२०३, तकनीकी शिक्षा।

२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।

२२०५, कला तथा संस्कृति।

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।

२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।

२२१७, नगर विकास।

२२२०, सूचना तथा प्रचार।

२२३०, श्रम तथा नियोजन।

२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।

२२३६, पोषण।

२४०३, पशुपालन।

२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।

२४०५, मत्स्य उद्योग।

२४०६, वन तथा वन्य जीवन।

२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।

२७०२, लघु सिंचाई।

२८०१, विद्युत।

२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।

२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।

३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।

३०५४, सड़क तथा पुल।

३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।

३४५२, पर्यटन।

३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

(१)	(२)	(३)	(४)	
ओ-३८	जिला योजना -धुलिया।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	रुपये १,८९,११,१३,०००	रुपये १,८९,११,१३,०००

ओ-४० जिला योजना-जलगाँव।

२०५३, जिला प्रशासन।
 २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगर विकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२३०, श्रम तथा नियोजन।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
 ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन।
 ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

३,८१,१७,३०,०००

३,८१,१७,३०,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	
ओ-४२	जिला योजना-अहमदनगर।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समन्वय।	रुपये ३,८८,८६,००,०००	रुपये ३,८८,८६,००,०००

ओ-४४ जिला योजना-नंदुरबार।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१,११,४१,८०,०००	. . .	१,११,४१,८०,०००
	२२०२, सामान्य शिक्षा।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
	२२१७, नगर विकास।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।				
	२२३०, श्रम तथा नियोजन।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
	२२३६, पोषण।				
	२४०३, पशुपालन।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग।				
	२४२५, सहकारिता।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।				
	२७०२, लघु सिंचाई।				
	२८०१, विद्युत।				
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।				
	३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।				
	३०५४, सड़क तथा पुल।				
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।				
	३४५२, पर्यटन।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज				
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-४६	जिला योजना-संभाजी नगर।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३,९३,३३,५६,०००
			रुपये
			रुपये

ओ-४८	जिला योजना-जालना ।	२०५३, जिला प्रशासन ।	. .	. .	२,५७,९५,३०,०००	. . .	२,५७,९५,३०,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा ।					
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।					
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।					
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।					
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।					
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।					
		२२१७, नगर विकास ।					
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।					
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।					
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।					
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।					
		२२३६, पोषण ।					
		२४०३, पशुपालन ।					
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।					
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।					
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।					
		२४२५, सहकारिता ।					
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।					
		२७०२, लघु सिंचाई ।					
		२८०१, विद्युत ।					
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।					
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।					
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।					
		३०५४, सड़क तथा पुल ।					
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।					
		३४५२, पर्यटन ।					
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।					

अनुसूची-चालू

३२

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-५०	जिला योजना -नांदेड	२,३७,८७,९९,०००	२,३७,८७,९९,०००
	२०५३, जिला प्रशासन।		
	२२०२, सामान्य शिक्षा।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगरविकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण ।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

२०५३, जिला प्रशासन।
 २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगरविकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
 २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

३,२०,०५,१९,०००

. . .

३,२०,०५,१९,०००

अनुसूची-चालू

३४

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-५४ जिला योजना -बीड।	२०५३, जिला प्रशासन।	२,८५,९९,०६,०००	२,८५,९९,०६,०००
	२२०२, सामान्य शिक्षा।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगरविकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

ओ-५६ जिला योजना -लातूर।

- २०५३, जिला प्रशासन।
 २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगरविकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
 २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

२,६८,०२,६८,०००

. . .

२,६८,०२,६८,०००

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-५८	जिला योजना -धाराशिव	२,६४,३१,६५,०००	२,६४,३१,६५,०००
	२०५३, जिला प्रशासन।		
	२२०२, सामान्य शिक्षा।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगरविकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-६०	जिला योजना -हिंगोली	२०५३, जिला प्रशासन।	१,६७,७२,३१,०००	. . .	१,६७,७२,३१,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

अनुसूची-चालू

३८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-६२ जिला योजना -नागपुर।	२०५३, जिला प्रशासन।	५,८७,०५,८८,०००	५,८७,०५,८८,०००
	२२०२, सामान्य शिक्षा।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगरविकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति		
	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-६४	जिला योजना -वर्धा।	२०५३, जिला प्रशासन।	१,९६,३०,४५,०००	. . .	१,९६,३०,४५,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-६६	जिला योजना-भंडारा।	२०५३, जिला प्रशासन।	१,५२,७०,९६,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।	. . .
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।	
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।	
		२२०५, कला तथा संस्कृति।	
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	
		२२१७, नगरविकास।	
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।	
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति	
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	
		२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।	
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	
		२२३६, पोषण।	
		२४०३, पशुपालन।	
		२४०५, मत्स्य उद्योग।	
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	
		२४२५, सहकारिता।	
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।	
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	
		२७०२, लघु सिंचाई।	
		२८०१, विद्युत।	
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।	
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।	
		३०५४, सड़क तथा पुल।	
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।	
		३४५२, पर्यटन।	
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज	
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	
			रुपये
			१,५२,७०,९६,०००

२०५३, जिला प्रशासन।
 २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगरविकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।
 ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज
 संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

२,६३,९३,९४,०००

. . .

२,६३,९३,९४,०००

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७०	जिला योजना-गढ़चिरोली।	२०५३, जिला प्रशासन।	२,५२,५८,०८,०००	...	२,५२,५८,०८,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति			
		अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

ओ-७२ जिला योजना -गोंदिया।

२०५३, जिला प्रशासन।
 २२०२, सामान्य शिक्षा।
 २२०३, तकनीकी शिक्षा।
 २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
 २२०५, कला तथा संस्कृति।
 २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
 २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
 २२१७, नगरविकास।
 २२२०, सूचना तथा प्रचार।
 २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
 २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।
 २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
 २२३६, पोषण।
 २४०३, पशुपालन।
 २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।
 २४०५, मत्स्य उद्योग।
 २४०६, वन तथा वन्य जीवन।
 २४२५, सहकारिता।
 २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।
 २७०२, लघु सिंचाई।
 २८०१, विद्युत।
 २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।
 २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
 ३०५४, सड़क तथा पुल।
 ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।
 ३४५२, पर्यटन।

१,५२,८७,८५,०००

. . .

१,५२,८७,८५,०००

अनुसूची-चालू

४४

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
ओ-७४	जिला योजना -अमरावती।	२०५३, जिला प्रशासन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	२,७२,२५,६८,०००	२,७२,२५,६८,०००

ओ-७६ जिला योजना -अकोला।	२०५३, जिला प्रशासन।	१,७१,६४,२२,०००	. . .	१,७१,६४,२२,०००
	२२०२, सामान्य शिक्षा।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
	२२१७, नगरविकास।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	२२३६, पोषण ।			
	२४०३, पशुपालन।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
	२४२५, सहकारिता।			
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	२८०१, विद्युत।			
	२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
	३०५४, सड़क तथा पुल।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
	३४५२, पर्यटन ।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-७८	जिला योजना -यवतमाल ।	२,४५,०३,९६,०००	२,४५,०३,९६,०००
	२०५३, जिला प्रशासन ।		
	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
	२२१७, नगरविकास ।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति		
	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास ।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
	२२३६, पोषण ।		
	२४०३, पशुपालन ।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
	२४२५, सहकारिता ।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
	२७०२, लघु सिंचाई ।		
	२८०१, विद्युत ।		
	२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा ।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
	३०५४, सड़क तथा पुल ।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
	३४५२, पर्यटन ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		

ओ-८०	जिला योजना -बुलढाणा।	२०५३, जिला प्रशासन।	२,६७,३१,६६,०००	. . .	२,६७,३१,६६,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा।			
		२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।			
		२२१७, नगरविकास।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति			
		अन्य पिछरे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।			
		२४२५, सहकारिता।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।			
		२७०२, लघु सिंचाई।			
		२८०१, विद्युत।			
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज			
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।			

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)
			रुपये
ओ-८२ जिला योजना -वाशिम।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१,७६,४१,५९,०००
	२२०२, सामान्य शिक्षा।		. . .
	२२०३, तकनीकी शिक्षा।		१,७६,४१,५९,०००
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।		
	२२१७, नगरविकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति		
	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		
	२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज		
	संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		

ओ-८४ जिला योजना -पालघर।

२०५३, जिला प्रशासन।

१,९८,७२,३२,०००

. . .

१,९८,७२,३२,०००

२२०२, सामान्य शिक्षा।

२२०३, तकनीकी शिक्षा।

२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।

२२०५, कला तथा संस्कृति।

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।

२२१७, नगरविकास।

२२२०, सूचना तथा प्रचार।

२२३०, श्रम नियोजन तथा कौशल्य विकास।

२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।

२२३६, पोषण।

२४०१, कृषी कर्म।

२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।

२४०३, पशुपालन।

२४०५, मत्स्य उद्योग।

२४०६, वन तथा वन्य जीवन।

२४२५, सहकारिता।

२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।

२५०५, ग्राम नियोजन।

२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।

२७०२, लघु सिंचाई।

२८०१, विद्युत।

२८१०, नविन तथा नवीकरणीय उर्जा।

२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।

३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।

अनुसूची—चालू

(१)		(२)		(३)		(४)	
				रुपये		रुपये	
		३०५४, सड़क तथा पुल।					
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।					
		३४५२, पर्यटन।					
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज					
		संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।					
		कुल—योजना विभाग।		१,८१,२७,३०,६३,०००	८५,३९,४४,०००	१,८२,१२,७०,०७,०००	
		संसदीय कार्य विभाग					
पी-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।		४,२३,१०,०००		४,२३,१०,०००	
पी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		६०,०००		६०,०००	
		कुल—संसदीय कार्य विभाग।		४,२३,७०,०००		४,२३,७०,०००	
		आवास विभाग					
क्यू-१	ब्याज अदायगीयाँ।	२०४९, ब्याज अदायगीयाँ।			३७,९१,०१,०००	३७,९१,०१,०००	
क्यू-२	प्रशासनिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।		३,१३,९६,०००		३,१३,९६,०००	
क्यू-३	आवास।	२२१६, आवास।		२९,४७,७४,८४,०००		२९,४७,७४,८४,०००	
		२२१७, नगरविकास।					
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।					
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।					
क्यू-४	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।		१२,०३,८४,०००		१२,०३,८४,०००	
		कुल— आवास विभाग।		२९,६२,९२,६४,०००	३७,९१,०१,०००	३०,००,८३,६५,०००	
		लोकस्वास्थ्य विभाग					
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२०४९, ब्याज अदायगीयाँ।		१,४५,२४,३९,६१,०००	७०,५५,०१,०००	१,४५,९४,९४,६२,०००	
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।					
		२२११, परिवार कल्याण।					
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।					

आर-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२०,३५,८४,०००	२०,३५,८४,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	१,४५,४४,७५,४५,०००	७०,५५,०१,००० १,४६,१५,३०,४६,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	५१,९६,६३,३८,०००	१,५०,००० ५१,९६,६४,८८,०००
एस-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	४०,००,०००	४०,००,०००
एस-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	४०,०२,१२,०००	१,००० ४०,०२,१३,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	५२,३७,०५,५०,०००	१,५१,००० ५२,३७,०७,०१,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	४०,३६,२०,०००	४०,३६,२०,०००
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति		
टी-२	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	१,१३,५६,७५,०००	१,१३,५६,७५,०००
		२४२५, सहकारिता।		
टी-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	४६,८०,०००	४६,८०,०००
टी-४	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२०,०८,९१,०००	२०,०८,९१,०००
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२०५९, लोक निर्माण कार्य।	१,३१,०१,०३,१४,०००	१,३१,०१,०३,१४,०००
		२२०२, सामान्य शिक्षा।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
		२२११, परिवार कल्याण।		

अनुसूची-चालू

५२

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये	रुपये
		२२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
		२२१७, नगर विकास ।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
		२२३०, श्रम कौशल्य विकास तथा नियोजन ।	१२,०५,०१,८३,०००	१२,०५,०१,८३,०००	
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०१, कृषि कर्म ।			
		२४०३, पशुपालन ।			
		२४०५, मत्स्योद्योग ।			
		२४०६, वन तथा वन्यजीवन ।			
		२४२५, सहकारिता ।			
		२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम ।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५०५, ग्राम नियोजन ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८०१, विद्युत ।			
		२८१०, नविन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
		३०५४, सड़क तथा पुल ।			
		३०५५, सड़क परिवहन ।			
टी-९	जिला योजना ।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	१७,७५,४०,७७,०००	१७,७५,४०,७७,०००	
		कुल-जनजाति विकास विभाग	१,५०,१०,५६,३७,०००	४०,३६,२०,०००	१,५०,५०,९२,५७,०००

पर्यावरण और वातावरण बदल विभाग								
यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	. .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	९,०५,९२,०००	९,०५,९२,०००	
यू-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	६०,०००	. . .	६०,०००	
यू-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	७,७८,५३,०००	. . .	७,७८,५३,०००	
यू-४	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।	. .	३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।	. .	४,२८,९५,०१,०००	. . .	४,२८,९५,०१,०००	
कुल—पर्यावरण और वातावरण बदल विभाग।					. .	४,३६,७४,१४,०००	९,०५,९२,०००	४,४५,८०,०६,०००
सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग								
वी-१	ब्याज अदायगियाँ।	. .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	१२,७६,०२,०००	१२,७६,०२,०००	
		. .	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .				
वी-२	सहकारिता।	. .	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ।	. .	२०,०१,१६,०२,०००	१,६०,०००	२०,०१,१७,६२,०००	
		. .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	. .				
		. .	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .				
		. .	२४२५, सहकारिता।	. .				
		. .	२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।	. .				
		. .	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।	. .				
		. .	२८५२, उद्योग।	. .				
		. .	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .				
		. .	३४५६, सिविल आपूर्ति।	. .				
कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।					. .	२०,०१,१६,०२,०००	१२,७७,६२,०००	२०,१३,९३,६४,०००
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग								
डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	. .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	४,८५,१७,५९,०००	४,८५,१७,५९,०००	
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	. .	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	१,०२,०४,००,५७,०००	१,९६,०००	१,०२,०४,०२,५३,०००	
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	. .	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	२४,६६,००,६०,०००	१,५०,०००	२४,६६,०२,१०,०००	
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति।	. .	२२०५, कला तथा संस्कृति।	. .	४,३२,१६,१५,०००	. . .	४,३२,१६,१५,०००	
डब्ल्यू-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१७,९०,०००	. . .	१७,९०,०००	
डब्ल्यू-६	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२५,७७,८४,०००	. . .	२५,७७,८४,०००	
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व परिव्यय।	. .	२४०६, तकनीकी शिक्षा।	. .	१,००,०००	. . .	१,००,०००	
कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग					. .	१,३१,२८,१४,०६,०००	४,८५,२१,०५,०००	१,३६,१३,३५,११,०००

अनुसूची—चालू

५४

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये	रुपये
महिला तथा बाल विकास विभाग					
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण।	४७,०६,७२,९०,०००	४७,०६,७२,९०,०००	
एक्स-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	१३,५५,०५,०००	१३,५५,०५,०००	
		कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	४७,२०,२७,९५,०००	४७,२०,२७,९५,०००	
जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग					
वाय-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।		२८,००,००,०००	२८,००,००,०००
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	७७,११,६४,३७,०००	१,१०,००,०००	७७,१२,७४,३७,०००
वाय-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	१९,००,०००		१९,००,०००
वाय-४	लघु सिंचाई।	२७०२, लघु सिंचाई। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	५८,०५,८१,०००		५८,०५,८१,०००
वाय-५	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३३,४८,९१,०००		३३,४८,९१,०००
		कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	७८,०३,३८,०९,०००	२९,१०,००,०००	७८,३२,४८,०९,०००
कौशल, रोजगार उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग					
जेड-क-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ। २२०३, तकनीकी शिक्षा।		१,००,००,०००	१,००,००,०००
जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	३१,४५,९६,६६,०००	१०,७०,०००	३१,४६,०७,३६,०००
		कुल— कौशल, रोजगार उद्यमिता तथा नवपरिवर्तन विभाग।	३१,४५,९६,६६,०००	१०,७०,०००	३१,४७,०७,३६,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	..	६,०८,६२,१०,०००	२,२५,३८,०००	६,१०,८७,४८,०००	
जेड ग-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	४०,०५,४०,०००	..	४०,०५,४०,०००	
कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।				..	६,४८,६७,५०,०००	२,२५,३८,०००	६,५०,९२,८८,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-१	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ ।	. .	१५,०२,७९,०००	. . .	१५,०२,७९,०००
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	. .	१२,३३,१६,३३,०००	. . .	१२,३३,१६,३३,०००
जेड घ-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	३,६०,०००	. . .	३,६०,०००
जेड घ-४	पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।	. .	१९,१५,००,००,०००	. . .	१९,१५,००,००,०००
कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।			. .	३१,६३,२२,७२,०००	. . .	३१,६३,२२,७२,००

अल्पसंख्यक विकास विभाग

जेड ड -१ अल्पसंख्यक विकास।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	८,५१,१९,०९,०००	. . .	८,५१,१९,०९,०००
	२०५३, जिला प्रशासन।			
	२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
	कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।	८,५१,१९,०९,०००	. . .	८,५१,१९,०९,०००

मराठी भाषा विभाग

जेड च-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	१९,३४,१४,०००	. . .	१९,३४,१४,०००
जेड च-२	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	३६,६०,७७,०००	. . .	३६,६०,७७,०००
जेड च-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	२,४०,०००	. . .	२,४०,०००
कुल— मराठी भाषा विभाग। . .			५५,९७,२४,०००	. . .	५५,९७,२४,०००

अनुसूची—चालू

५६

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			रुपये	रुपये	रुपये
अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग					
जेड छ-१ ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	३२,१९,२०,०००	. . .	३२,१९,२०,०००
जेड छ-२ सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवायें।	२२१६, आवास। २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवाएँ।		२९,५०,९७,०००	१,०००	२९,५०,९८,०००
जेड छ-३ विमुक्त जाति, खानबदोश जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।		४२,७९,८८,१४,०००	. . .	४२,७९,८८,१४,०००
कुल— अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग।			४३,०९,३९,११,०००	३२,१९,२१,०००	४३,४१,५८,३२,०००
मृदा तथा जल संरक्षण विभाग					
जेड ज-१ ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	६,०००	६,०००
जेड ज-२ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवाएँ।		५०,००,०००	. . .	५०,००,०००
जेड ज-३ सिंचाई, ऊर्जा और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।		६,८५,०८,२२,०००	. . .	६,८५,०८,२२,०००
जेड ज-४ सचिवालय—आर्थिक सेवायें।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।		१६,७४,६४,०००	. . .	१६,७४,६४,०००
कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।			७,०२,३२,८६,०००	६,०००	७,०२,३२,९२,०००
दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभाग					
जेड झ-१ ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
जेड झ-२ सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।		३१,५४,३८,०००	. . .	३१,५४,३८,०००
जेड झ-३ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१४,१२,६५,९७,०००	. . .	१४,१२,६५,९७,०००
कुल— दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभाग।			१४,४४,२०,३५,०००	१०,००,००,०००	१४,५४,२०,३५,०००
कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।			४१,९४,८८,६९,८०,०००	५,५४,६३,२२,८५,०००	४७,४९,५१,९२,६५,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय

सामान्य प्रशासन विभाग

ए-९	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय।	२,७५,०५,०५,०००	२,७५,०५,०५,०००
		४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।		
		५०५३, सिविल, विभाजन पर पूँजीगत परिव्यय।		
		५२७५, अन्य संसूचना सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।		
ए-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	१२,३२,४०,०००	१२,३२,४०,०००
कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।			२,८७,३७,४५,०००	२,८७,३७,४५,०००

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय।	२५,३५,८६,०७,०००	२५,३५,८६,०७,०००
		४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।		
		५००२, भारतीय रेल-वाणिज्य तरतूद पर पूँजीगत परिव्यय।		
		५०५५, सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय।		
बी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७४,८९,४१,०००	७४,८९,४१,०००
बी-१२	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	६७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	२८,००,००,०००	२८,००,००,०००
कुल—गृह विभाग।			२६,३८,७५,४८,०००	२६,३८,७५,४८,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय।	५,१८,०००	१,००,००,०००	१,०५,१८,०००
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।			
		६२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय।			
		४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय।			

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४७०१, बरी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।	१४,११,९८,६९,०००	१४,११,९८,६९,०००
सी-११	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	१,०००	१,०००
सी-१२	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	१,५०,४५,५०,०००	१,५०,४५,५०,०००
कुल— राजस्व तथा वन विभाग।			१५,६२,४९,३७,०००	१,००,०१,०००
कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-८	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	४०,१३,८३,०००	४०,१३,८३,०००
डी-९	मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०५, मत्स्योद्योग के लिए कर्ज।	१,७२,७७,४९,००० १,०००	१,७२,७७,४९,००० १,०००
डी-१०	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	२१,४०,१८,०००	२१,४०,१८,०००
डी-११	राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्ज।	६२१६, आवास के लिए कर्ज। ७६१०, सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्ज।	१,००० १,०००	१,००० १,०००
कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।			२,३४,३१,५०,०००	१,०००
विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग				
ई-४	शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	३,४९,५२,९९,०००	३,४९,५२,९९,०००
ई-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	११,८४,९८,०००	११,८४,९८,०००
कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग			३,६१,२७,९७,०००	३,६१,२७,९७,०००

नगरविकास विभाग

एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२२,१६,००,०१,०००	. . .	२२,१६,००,०१,०००
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	. . .	. . .	. . .
एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज।	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।	. .	५५,०२,००,०१,०००	. . .	५५,०२,००,०१,०००
एफ-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	५,२२,४०,०००	. . .	५,२२,४०,०००

कुल—नगर विकास विभाग

. .	७७,२३,२२,४२,०००	. . .	७७,२३,२२,४२,०००
-----	-----------------	-------	-----------------

वित्त विभाग

जी-८	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीकृत परिव्यय।	. .	१,८३,३१,९६,०००	. . .	१,८३,३१,९६,०००
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।		. . .	५,३२,०२,६६,९९,०००	५,३२,०२,६६,९९,०००
जी-९	लोक ऋण और आंतरराज्य निपटान।	६००४, केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम।		. . .	. . .	. . .
		७८१०, आंतर राज्य निपटान।				
जी-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण।		५५,९३,८०,०००	. . .	५५,९३,८०,०००
		कुल—वित्त विभाग	. .	२,३९,२५,७६,०००	५,३२,०२,६६,९९,०००	५,३४,४१,९२,७५,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग

एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		१,५६,९२,५६,६९,०००	. . .	१,५६,९२,५६,६९,०००
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।				
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४१,४६,२६,४१,०००	५४,००,००,०००	४२,००,२६,४१,०००
		४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।				

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये	रुपये
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूँजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	६०,४१,६२,०००	६०,४१,६२,०००	
एच-११	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	४६,८२,०२,०००	४६,८२,०२,०००	
कुल-लोकनिर्माण कार्य विभाग			१,९९४६,०६,७४,०००	५४,००,००,०००	२,००,००,०६,७४,०००
जलस्रोत विभाग					
आय-५	सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय। ४७००, बड़ी सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०१, बरी तथा मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०५, कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	१,६५,८८,०७,६१,०००	२०,००,०००	१,६५,८८,२७,६१,०००
आय-६	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	१३,५३,३२,६८,०००	१३,५३,३२,६८,०००	
आय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	८३,५०,००,०००	८३,५०,००,०००	
कुल-जलस्रोत विभाग			१,६६,७१,५७,६१,०००	१३,५३,५२,६८,०००	१,८०,२५,१०,२९,०००

विधि तथा न्याय विभाग						
जे-४	लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	२५,००,००,०००	...	२५,००,००,०००
जे-५	सरकारी कर्मचारी आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारी आदि के लिए कर्ज ।	२६,५०,०१,०००	...	२६,५०,०१,०००
कुल—विधि तथा न्याय विभाग . . .				५१,५०,०१,०००	...	५१,५०,०१,०००
उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग						
के-९	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५८,	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय ।	८२,५०,५०,०००	...	८२,५०,५०,०००
		४८५९,	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।	...	...	...
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।			
के-१०	उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।	४८७५,	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।	१,५०,००,००,०००	...	१,५०,००,००,०००
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय ।	६८०१,	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	३१,३७,२६,०२,०००	...	३१,३७,२६,०२,०००
		६८७५,	अन्य उद्योगों के लिए कर्ज ।			
के-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	११,८७,६०,०००	...	११,८७,६०,०००
कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग । . .				३३,८१,६४,१२,०००	...	३३,८१,६४,१२,०००
ग्रामविकास विभाग						
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय ।	४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	५९,२४,९७,५०,०००	...	५९,२४,९७,५०,०००
		५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।			
		६२१६,	आवास के लिए कर्ज ।			
एल-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	१,६१,६०,०००	...	१,६१,६०,०००
कुल—ग्रामविकास विभाग . .				५९,२६,५९,१०,०००	...	५९,२६,५९,१०,०००
खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग						
एम-४	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०८,	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	१,१७,७३,४१,४७,०००	...	१,१७,७३,४१,४७,०००
एम-५	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	१९,२८,००,०००	...	१९,२८,००,०००
एम-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	६,१८,०१,०००	...	६,१८,०१,०००
कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । ..				१,१७,९८,८७,४८,०००	...	१,१७,९८,८७,४८,०००

अनुसूची-चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये
			रुपये	रुपये
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग		
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय।	१०,८०,००,०३,०००	. . . १०,८०,००,०३,०००
		४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	. . .
		४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	. . .
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।	. . .	. . .
		६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज।		
		६२१६, आवास के लिये कर्ज।	. . .	. . .
एन-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७,९५,६३,०००	. . . ७,९५,६३,०००
एन-७	जिला योजनाएँ।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	५४,३४,०२,०००	. . . ५४,३४,०२,०००
एन-८	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	६२२५ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	१,६८,७३,०००	. . . १,६८,७३,०००
कुल-सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग			११,४३,९८,४१,०००	. . . ११,४३,९८,४१,०००

योजना विभाग					
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत. . . परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	६३,४६,१५,१८,०००	. . .	६३,४६,१५,१८,०००
		५४५२, पर्यटन व पूंजीगत परिव्यय।			
ओ-११	पहारी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४५५१, पहारी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय।	१,९०,००,००,०००	. . .	१,९०,००,००,०००
ओ-१२	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	५४६५, सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	३६,८३,००,०००	. . .	३६,८३,००,०००
ओ-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज	२,९०,७०,०००	. . .	२,९०,७०,०००
ओ-१५	जिला योजना-मुंबई शहर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	१,१२,२०,७५,०००	.. .	१,१२,२०,७५,०००
ओ-१७	जिला योजना-मुंबई उपनगर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	१,३४,१४,७९,०००		१,३४,१४,७९,०००

अनुसूची-चालू

६४

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
ओ-१९	जिला योजना-ठाणे।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजि सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	२,०२,३२,६०,०००	
ओ-२१	जिला योजना-रायगड।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजि सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	१,०६,४६,४२,०००	
			रुपये	रुपये
			२,०२,३२,६०,०००	१,०६,४६,४२,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

ओ-२३ जिला योजना-रत्नागिरी।	४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६७,९६,००,०००		६७,९६,००,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
ओ-२५ जिला योजना-सिंधुदुर्ग।	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६१,७१,२७,०००		६१,७१,२७,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			

अनुसूची-चालू

६६

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
ओ-२७ जिला योजना—पुणे।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यथा। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्याय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथाकल्याण पर पूंजीगत परिव्याय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्याय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाड़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	२,११,४१,७५,०००		२,११,४१,७५,०००
ओ-२९ जिला योजना—सातारा।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यथा। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्याय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथाकल्याण पर पूंजीगत परिव्याय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्याय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	१,१०,०४,६६,०००		१,१०,०४,६६,०००

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

	४७११, बाड़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-३१ जिला योजना—सांगली।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्याय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्याय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्याय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाड़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	१,१६,३१,०५,०००		१,१६,३१,०५,०००
ओ-३३ जिला योजना—सोलापुर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	१,७६,९२,९०,०००		१,७६,९२,९०,०००

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
			रुपये		रुपये	रुपये
ओ-३५ जिला योजना-कोल्हापुर।		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।				
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
		४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,४३,३१,६६,०००			१,४३,३१,६६,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
ओ-३७ जिला योजना-नासिक।		४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	२,०६,५६,००,०००			२,०६,५६,००,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।				

	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-३९	जिला योजना-धुलिया।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७५,८८,८७,०००	 ७५,८८,८७,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
ओ-४१	जिला योजना-जलगांव।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२८,८२,७०,०००	 १,२८,८२,७०,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
ओ-४३	जिला योजना-अहमदनगर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	२,३१,१४,००,०००	२,३१,१४,००,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
ओ-४५	जिला योजना-नंदुरबार।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	४८,५८,२०,०००	४८,५८,२०,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		

	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-४७ जिला योजना-छत्रपति संभाजीनगर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,६६,६६,४४,०००		१,६६,६६,४४,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-४९ जिला योजना-जालना।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६७,०४,७०,०००		६७,०४,७०,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			रुपये	रुपये	रुपये
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-५१	जिला योजना-परभणी।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	५२,१२,०१,०००		५२,१२,०१,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-५३	जिला योजना-नांदेड।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२४,९४,८१,०००		१,२४,९४,८१,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			

	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-५५ जिला योजना-बीड।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२४,००,९४,०००		१,२४,००,९४,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
ओ-५७ जिला योजना-लातूर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७१,९७,३२,०००		७१,९७,३२,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		
ओ-५९ जिला योजना-धाराशिव।		४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७५,६८,३५,०००	७५,६८,३५,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६७,२७,६९,०००	६७,२७,६९,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
ओ-६१ जिला योजना-हिंगोली।		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		

	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-६३ जिला योजना-नागपुर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	२,१२,९४,१२,०००		२,१२,९४,१२,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-६५ जिला योजना-वर्धा।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	६८,६९,५५,०००		६८,६९,५५,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
ओ-६७	जिला योजना-भंडारा।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	५२,२९,०४,०००	५२,२९,०४,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		

ओ-६९ जिला योजना-चंद्रपुर।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	१,१६,०६,०६,०००		१,१६,०६,०६,०००
ओ-७१ जिला योजना-गडचिरोली।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	८७,४१,९२,०००		८७,४१,९२,०००

अनुसूची-चालू

७८

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, मार्च २३, २०२३/चैत्र २, शके १९४५

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
ओ-७२ जिला योजना-गोंदिया।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	७२,१२,१५,०००	
ओ-७५ जिला योजना-अमरावती।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	१,२२,७४,३२,०००	

ओ-७७ जिला योजना-अकोला।	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	७८,३५,७८,०००		७८,३५,७८,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
ओ-७९ जिला योजना-यवतमाल।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,५४,९६,०४,०००		१,५४,९६,०४,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
ओ-८१	जिला योजना-बुलढाणा।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।	१,०२,६८,३४,०००	१,०२,६८,३४,०००
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		

ओ-८३ जिला योजना-वाशिम।

४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
 ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।
 ६२१७, नगरविकास के लिए कर्ज।
 ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।
 ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।

५८,५८,४१,०००

....

५८,५८,४१,०००

ओ-८५ जिला योजना-पालघर।

४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।
 ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।

७१,२७,६८,०००

....

७१,२७,६८,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		५०५४, सडक तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
		कुल—योजना विभाग। . .	१,०६,५७,५८,१७,०००	. . .	१,०६,५७,५८,१७,०००
		संसदीय कार्य विभाग			
पी-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	२२,००,०००	. . .	२२,००,०००
		कुल—संसदीय कार्य विभाग। . .	२२,००,०००	. . .	२२,००,०००
		आवास विभाग			
क्यू-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	३,४६,००,०००	. . .	३,४६,००,०००
		कुल— आवास विभाग। . .	३,४६,००,०००	. . .	३,४६,००,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग			
आर-३	लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय। . .	४२१०, लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय। . .	४७,१५,०१,०००	१,०००	४७,१५,०२,०००
		६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।			
आर-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज। . .	६४,४१,७०,०००	. . .	६४,४१,७०,०००
		कुल— लोकस्वास्थ्य विभाग। . .	१,११,५६,७१,०००	१,०००	१,११,५६,७२,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	१२,५०,२४,६८,०००	१२,५०,२४,६८,०००
एस-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	१०,००,११,०००	१०,००,११,०००
कुल— चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।				१२,६०,२४,७९,०००	१२,६०,२४,७९,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	१८,८४,७६,६६,०००	१८,८४,७६,६६,०००
		४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४२५,	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०१,	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
टी-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	१३,८१,१०,०००	१३,८१,१०,०००
टी-१०	जिला योजनाएँ।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	३,८३,०८,१७,०००	३,८३,०८,१७,०००
टी-११	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण।	६२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण।	२९,०६,०००	२९,०६,०००
कुल—जनजाति विकास विभाग।				२२,८१,९४,९९,०००	२२,८१,९४,९९,०००

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन विभाग					
यू-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	१,४६,२१,०००		१,४६,२१,०००
		कुल—पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन विभाग।	१,४६,२१,०००		१,४६,२१,०००
सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग					
वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४२५, सहकरिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४४३५, अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४,७५,९४,०९,०००		४,७५,९४,०९,०००
वी-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	६००२, सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।		२,३१,१०,०००	२,३१,१०,०००
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६४२५, सहकारिता के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज। ६८६०, ग्राहक उद्योगों के लिए कर्ज। ७४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज।	६६,९६,८६,०००		६६,९६,८६,०००
वी-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। ७४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज।	१२,८१,९५,०००		१२,८१,९५,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग	५,५५,७२,९०,०००	२,३१,१०,०००	५,५८,०४,००,०००
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग					
डब्ल्यू-८	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	५,१०,०००		५,१०,०००
डब्ल्यू-९	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि।	२९,८९,३०,०००		२९,८९,३०,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	३४,९९,३०,०००		३४,९९,३०,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-३ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३६, पोषण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३७,००,००,०००	..	३७,००,००,०००
एक्स-४ सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि।	..	७,५२,००,०००	..	७,५२,००,०००
कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग		..	४४,५२,००,०००	..	४४,५२,००,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-६ आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३२,२८,१९,०००	५,००,०००	३२,३३,१९,०००
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
	६२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज।				
वाय-७ सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के कर्ज।	..	५,०८,१०,०००	..	५,०८,१०,०००
कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग		..	३७,३६,२९,०००	५,००,०००	३७,४१,२९,०००

कुशलता विकास, नियोजन तथा उद्यम विभाग

जेड क-३ सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	२१,७०,५०,०००	..	२१,७०,५०,०००
कुल—पर्यावरण और वातावरण परिवर्तन विभाग।		..	२१,७०,५०,०००	..	२१,७०,५०,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-३	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२,०२,०८,३५,०००	..	२,०२,०८,३५,०००
	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।				
कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।		..	२,०२,०८,३५,०००	..	२,०२,०८,३५,०००

पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-५ शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृती पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृती पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१३,००,००,०००	..	१३,००,००,०००
जेड घ-६ सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	१,५८,००,०००	..	१,५८,००,०००
कुल—पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग।		..	१४,५८,००,०००	..	१४,५८,००,०००

अनुसूची—चालू

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)
			रुपये	रुपये
			रुपये	रुपये
अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड ड-२ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	२५,५०,००,०००	२५,५०,००,०००
जेड ड-३ सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	१,१३,१०,०००	१,१३,१०,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।	२६,६३,१०,०००	२६,६३,१०,०००
मराठी भाषा विभाग				
जेड च-४ लोकनिर्माण कार्य विभाग पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्य विभाग पर पूंजीगत परिव्यय।	३४,७२,००,०००	३४,७५,००,०००
जेड च-५ सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	२,०२,६१,०००	२,०२,६१,०००
		कुल—मराठी भाषा विभाग।	३६,७४,६१,०००	३६,७४,६१,०००
अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग				
जेड छ-४ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय।	५,६५,०१,०००	५,६५,०१,०००
जेड छ-५ आवास के लिए कर्ज।	६२१६,	आवास के लिए कर्ज।	१,४२,०१,०००	१,४२,०१,०००
	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	७,०७,०२,०००	७,०७,०२,०००
मृदा और जल संरक्षण विभाग				
जेड-ज-५ सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२,	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय।	४०,००,८३,९७,०००	४०,००,८३,९७,०००
	४७०२,	लघुसिंचाई पर पूंजीगत व्यय।		
जेड ज-६ राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज।	१,०००	१,०००

जेड ज-७ सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	५,९०,५०,०००	.. .	५,९०,५०,०००
		कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग ।	..	४०,०६,७४,४७,०००	१,०००	४०,०६,७४,४८,०००
दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभाग						
जेड-झ-४ सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	७,००,००,०००	..	७,००,००,०००
जेड-झ-५ सरकारी कर्मचारी आदि को कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारी आदि को कर्ज ।	..	३,०२,७०,०००	..	३,०२,७०,०००
		कुल—विकलांग व्यक्ति कल्याण विभाग	..	१०,०२,७०,०००	.. .	१०,०२,७०,०००
		कुल — ख-पूंजीगत लेखे पर परिव्यय ।	..	९,१२,८१,६१,५३,०००	५,४६,१३,५५,८१	१४,५८,९५,१७,३४,०००
		कुल योग ।	..	५१,०७,७०,३१,३३,०००	११,००,७६,७८,६६,०००	६२,०८,४७,०९,९९,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४(१) यह अपेक्षा करता है कि विधानसभा द्वारा अनुदान दिये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से विनियोग करने के लिए उपबंध करने संबंधी विधेयक पुरःस्थापित किया जाये जो कि,—

(क) इस प्रकार विधानसभा द्वारा दिये गये अनुदानों के लिए और

(ख) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय के लिए किंतु किसी भी मामले में विधानमंडल के समक्ष रखी गई पूर्ववर्ती विवरणी में दर्शायी गई रकम से अधिक नहीं होगा अपेक्षित सभी धन को पूरा करने के लिए होगा।

प्रस्तुत विधेयक तदनुसार, विधानसभा द्वारा दिये गये अनुदानों को पूरा करने तथा वित्तीय वर्ष २०२३-२४ के लिए राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित रकम को पूरा करने के लिए अपेक्षित सकल रकमों को विनिर्दिष्ट करता है।

रकमें नीचे दर्शायी गई हैं :—

	रुपये
(क) राजस्व व्यय	४७,४९,५१,९२,६५,०००
(ख) पूँजीगत व्यय	१४,५८,९५,१७,३४,०००
कुल	६२,०८,४७,०९,९९,०००

मुंबई,
दिनांकित २३ मार्च २०२३।

देवेंद्र फडणवीस,
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।